महत्वपूर्ण

संख्या-9/2023/I/417339/2023/86-01003(001)/3/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार-।।।,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2023

विषय:- उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 के नियम-27(3) अन्तर्गत उपखनिजों के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि की किश्तों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-3447/86-2023/86-01003(001)/3/2021 दिनांक 30.10.2023 द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-27(3) में प्रावधानित व्यवस्था " पट्टा देने के पश्चात् नदी तल के उपखनिजों यथा बालू, मोरम, बजरी-बोल्डर के पट्टाधारक, पंचम अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा और अन्य खनिजों का पट्टाधारक, चतुर्थ अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा" के स्थान पर निम्नवत् उल्लिखित प्राविधान किया गया है:-

" पट्टा देने के पश्चात् पट्टाधारक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा।"

2. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रख्यापन के फलस्वरूप चतुर्थ एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पंचम अनुसूची का विलोपन हो चुका है। अतः विलोपित पंचम अनुसूची, जिसमें नदी तल में पाये जाने वाले उपखनिज यथा बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर के पट्टाधारकों द्वारा जमा की जाने वाली संदेय धनराशि की व्यवस्था थी, के स्थान पर तालिका-एक तथा चतुर्थ अनुसूची, जिसमें उक्त उपखनिजों को छोड़कर अन्य उपखनिजों के पट्टाधारकों द्वारा जमा की जाने वाली संदेय धनराशि की व्यवस्था थी, के स्थान पर तालिका-दो संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपखनिजों के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि का भुगतान संलग्न तालिका-एक व दो के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- तालिका-एक व दो ।

भवदीय,

अनिल कुमार-।।।

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0) ।
4. समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, उ0प्र0 (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0) ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

हृदय नारायण सिंह यादव

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका–एक

नदी तल में पाये जाने वाले उपखनिज यथा–बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर के पट्टाधारकों द्वारा जमा की जाने वाली संदेय धनराशि की सूची।

{नियम–27(3)}

अवधि के दौरान जिसमें पट्टा दिया गया है।		जमा की जाने वाली वार्षिक धनराशि का प्रतिशत	किस्ते							
1	2	3	4							
जनवरी	प्रथम वर्ष	20%	10%, 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 जनवरी	10%, 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर
फरवरी	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी
मार्च	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी
अप्रैल	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च
मई	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल
जून	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 जून	10% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई
जुलाई	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
अगस्त	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
सितम्बर	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
अक्टूबर	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 अक्टूबर	10% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून
नवम्बर	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 नवम्बर	10% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1 अक्टूबर
दिसम्बर	प्रथम वर्ष	20%	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1अक्टूबर	10% 1 नवम्बर
	अनुवर्ती वर्ष	20% 1 दिसम्बर	10% 1 जनवरी	10% 1 फरवरी	10% 1 मार्च	10% 1 अप्रैल	10% 1 मई	10% 1 जून	10% 1अक्टूबर	10% 1 नवम्बर

तालिका–दो

नदी तल उपखनिज, यथा–बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर को छोड़कर अन्य उपखनिजों के पट्टाधारकों द्वारा जमा की जाने वाली संदेय धनराशि की सूची।

{नियम–27(3)}

अवधि के दौरान जिसमे पट्टा दिया गया है।		जमा की जाने वाली वार्षिक धनराशि का प्रतिशत	किस्तें										
1	2	3	4										
जनवरी	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1 सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1 दिसम्बर
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1 सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1 दिसम्बर
फरवरी	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी
मार्च	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी
अप्रैल	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च
मई	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल
जून	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई
जुलाई	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून
अगस्त	प्रथम वर्ष	12%	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई
सितम्बर	प्रथम वर्ष	12%	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त
अक्टूबर	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर

नवम्बर	प्रथम वर्ष	12%	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1 नवम्बर	8% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर
दिसम्बर	प्रथम वर्ष	12%	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर
	अनुवर्ती वर्ष	12% 1दिसम्बर	8% 1 जनवरी	8% 1 फरवरी	8% 1 मार्च	8% 1 अप्रैल	8% 1 मई	8% 1 जून	8% 1 जुलाई	8% 1 अगस्त	8% 1सितम्बर	8% 1अक्टूबर	8% 1 नवम्बर